रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228936
CG-DL-E-12082021-228936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
No. 457] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SRAVANA 21, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 567(अ).—केंद्रीय सरकार मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 121 की उप-धारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 में, नियम 9 के उप- नियम (3) को निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाएगा,-

"(3) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के किसी गैर- सरकारी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि, -

(i) उसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; अथवा

(ii) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; अथवा

(iii) वह सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; अथवा

(iv) उसने ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित अर्जित कर लिए हैं जिनसे उसके सदस्य के रूप कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; अथवा

(v) उसने अपने पद का इतना दुरुपयोग किया हो जिससे कि उसका अपने पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल है; अथवा

(vi) वह ऐसे कारकों के सिवाय जो उसके नियंत्रण से परे हों अथवा अध्यक्ष की अनुमति के बिना केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा है।"

3. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 में, नियम 14 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जा सकेगा,-

"14. सेवाओं का डिज़िटीकरण,- (1) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 71 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा डिज़िटल प्रपत्र में समस्त रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का प्ररूप-घ में एक प्रवर्ग- वार रजिस्टर रखा जाएगा।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण (प्ररूप- ख) को अनुदत्त करने हेतु डिजिटल रूप से आवेदन प्रस्तुत करने तथा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण प्रमाण पत्र (प्ररूप-ग) को डिजिटल रूप से जारी करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराएगा।"

[फा. सं. वी-15016/115/2020-पीएच-I]

रेखा शुक्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 तारीख 29 मई, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 507(अ) के द्वारा तारीख 29 मई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप- खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

G.S.R 567(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018, sub-rule (3) of rule 9 may be inserted as under, -

"(3) The Central Government may, remove from office a non-official member of the Central Mental Health Authority, if he,-

(i) Has been adjudged as an insolvent; or

(ii) Has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(iii) Has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(iv) Has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as a member; or

(v) Has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(vi) Remains absent for three consecutive meetings of the Central Mental Health Authority except for reasons beyond his control or without permission of the chairperson.".

3. In the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018, rule 14 may be substituted as under, -

"14. Digitization of services. – (1) A category-wise register in Form-D of all registered mental health establishments shall be maintained by the Central Authority in digital format in accordance with the provisions of section 71 of the Mental Healthcare Act, 2017.

(2) The Central Authority shall also provide an online platform for digital submission of application for grant of provisional registration/ renewal of provisional registration of a mental health establishment (Form-B) and for digital issuance of certificate of provisional registration/ renewal of provisional registration (Form-C).".

[F. No.V-15016/115/2020– PH-I]

REKHA SHUKLA, Jt. Secy.

Note:- The Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 29th May, 2018 vide notification number G.S.R.507(E), dated the 29th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 568(अ).—केंद्रीय सरकार मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 121 की उप-धारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्ता नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 में नियम 9 का उप- नियम (3) निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जा सकेगा,-

"(3) राज्य सरकार, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के किसी गैर- सरकारी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि, -

(i) उसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णित कर दिया गया हो; अथवा

(ii) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसमें केंद्रीय, सरकार की राय में, नैतिक अधमकता अंतर्वलित है; अथवा

(iii) वह सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो गया है; अथवा

(iv) उसने ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित अर्जित कर लिए है जिनसे उसके सदस्य के रूप कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; अथवा

(v) उसने अपने पद का इतना दुरुपयोग किया हो जिससे उसका अपने पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल है; अथवा

(vi) वह ऐसे कारकों के सिवाय जो उसके नियंत्रण से परे हों अथवा अध्यक्ष की अनुमति के बिना राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।"

3. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 में, नियम 14 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जा सकेगा,-

"14. सेवाओं का डिज़िटीकरण,- (1) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 71 के उपबंधों के अनुसार, राज्य प्राधिकरण द्वारा डिज़िटल प्रपत्र में समस्त रजिस्ट्रकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का प्ररूप-घ में एक प्रवर्ग- वार रजिस्टर रखा जाएगा।

(2) राज्य प्राधिकरण मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण (प्ररूप- ख) को अनुदत्त करने के लिए डिजिटल रूप से आवेदन प्रस्तुत करने तथा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण प्रमाण पत्र (प्ररूप-ग) को डिजिटल रूप से जारी करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराएगा।"

[फा. सं. वी-15016/115/2020-पीएच-I]

रेखा शुक्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 तारीख 29 मई, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508 (अ) द्वारा तारीख 29 मई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप- खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

G.S.R. 568(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Mental Healthcare (State Mental Health Authority) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2018, sub-rule (3) of rule 9 may be inserted as under, -

"(3). The State Government may, remove from office a non-official member of the State Mental Health Authority, if he,-

(i) Has been adjudged as an insolvent; or

(ii) Has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(iii) Has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(iv) Has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as a member; or

(v) Has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(vi) Remains absent for three consecutive meetings of the State Mental Health Authority except for reasons beyond his control or without permission of the chairperson."

3. In the Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2018, rule 14 may be substituted as under, -

"14. Digitization of services. – (1) A category-wise register in Form-D of all registered mental health establishments shall be maintained by the State Authority in digital format in accordance with the provisions of section 71 of the Mental Healthcare Act, 2017.

(2) The State Authority shall also provide an online platform for digital submission of application for grant of provisional registration/ renewal of provisional registration of a mental health establishment (Form-B) and for digital issuance of certificate of provisional registration/ renewal of provisional registration (Form-C).".

[F. No.V-15016/115/2020– PH-I]

REKHA SHUKLA, Jt. Secy.

Note:- The Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 29th May, 2018 vide notification number G.S.R.508(E), dated the 29th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 569(अ).—मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 121 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार) नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार) नियम, 2018 में, नियम 5 के उप-नियम (2) को निम्नवत् रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा,-

"(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप नियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति से उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन के प्राप्त होने पर, आवेदन की जांच करेगा और जहां कहीं प्रतिपूर्ति का दावा स्वीकार्य पाया जाता है वहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर उपचार की ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए उस राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के भारसाधक अधिकारी को एक आदेश जारी करेगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का भारसाधक अधिकारी आदेश के जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति को सुनिश्चित करेगा।

परन्तु प्रतिपूर्ति के खर्च को समय- समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों तक सीमित रखा जाएगा।"

3. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार) नियम, 2018 में, नियम 6 के उप-नियम (3) को निम्नवत् रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

"(3) उप-नियम (2) के अधीन अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को भर्ती रोगी का मूल चिकित्सा अभिलेख प्रारूप-ख प्रदान किया जाएगा। यदि आवेदक को भर्ती रोगी का मूल चिकित्सा अभिलेख निर्धारित समय- सीमा के भीतर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आवेदक इस प्रकार की सूचना जारी करने के आदेश के लिए संबंधित बोर्ड से संपर्क कर सकता है।"

[फा. सं. वी-15016/115/2020-पीएच-I]

रेखा शुक्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार) नियम, 2018 को तारीख 29 मई 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 509 (अ) के द्वारा तारीख 29 मई 2018 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

G.S.R. 569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Mental Healthcare (Rights of Persons with Mental Illness) Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Mental Healthcare (Rights of Persons with Mental Illness) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mental Healthcare (Rights of Persons with Mental Illness) Rules, 2018, sub-rule (2) of rule 5 shall be substituted as under, -

"(2). The Chief Medical Officer, on receipt of the application for reimbursement of the costs of treatment from the person referred to in sub-rule (1), shall examine the application, and wherever the claim of reimbursement is found admissible, the Chief Medical Officer shall within thirty days of receipt of the application, issue an order to the officer in-charge of the Directorate of Health Services of that State Government for reimbursement of such costs of treatment. The officer in-charge of the Directorate of Health Services shall ensure reimbursement of such costs within forty five days from the date of issue of order.

Provided that the cost of reimbursement shall be limited to the rates specified by the Central Government from time to time.".

3. In the Mental Healthcare (Rights of Persons with Mental Illness) Rules, 2018, sub-rule (3) of rule 6 shall be substituted as under, -

"(3). Within fifteen days from the date of receipt of the request under sub-rule (2), basic inpatient medical records shall be provided to the applicant in Form-B. If the basic inpatient medical records are not provided to the applicant in the prescribed time limit, the applicant may approach the concerned Board for an order to release such information.".

[F. No. V-15016/115/2020– PH-I]

REKHA SHUKLA, Jt. Secy.

Note:- The Mental Healthcare (Rights of Persons with Mental Illness) Rules, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 29th May, 2018 vide notification number G.S.R.509(E), dated the 29th May, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.12 16:38:56 +05'30'